सामाजिक अंकेक्षण

द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की "सत्यापन प्रक्रिया" पर समझ एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

स म र्थ न

WaterAid

सामाजिक अंकेक्षण

द्वारा

खुले में शौच से मुक्ति की ''सत्यापन प्रक्रिया'' पर समझ एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

प्रकाशक
समर्थन सेंटर फार डेव्लपमेंट सपोर्ट
36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड भोपाल
म.प्र., 462016

ITC
ई - चौपाल
ITC MISSION SUNEHRA KAL

वर्ष 2017

भूमिका

वैश्विक पटल पर भारत की छबि विकासशील राष्ट्र के रूप में है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मानकों में हम अग्रणी श्रेणी के राष्ट्रों में शामिल हैं। परन्तु स्वच्छता मानकों के आधार पर बनी भारत की वर्तमान छबि चिंताजनक है। महानगरों से लेकर ग्रामों तक खुले में मल का मिलना व गंदगी का वातावरण सामान्य बात है। इस छबि को बदलकर एक स्वच्छ राष्ट्र की छबि बनाने के लिए भारत के मान्नीय प्राधनमंत्री जी ने सब के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150 वीं जन्मतिथि के अवसर तक सम्पूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए शासन, प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाऐं एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्यरत हैं।

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश आबादी आज भी ग्रामों में निवास करती है। अतः भारत को स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय ग्रामीण परिवेश में रह रहे समुदाय को स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत केन्द्र में रखा जावे। अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी व मूल्यांकन प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता स्पष्ट व सुनिश्चित हो।

किसी भी योजना में समुदाय की सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक संवैधानिक एवं अधिमान्य प्रक्रिया है। शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज में इस प्रक्रिया को अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से समुदाय को इस अभियान में सहज रूप से व सीधे तौर पर सहभागी बनाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन एवं ग्राम को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया में सामाजिक अंकेक्षण एक उपयुक्त विकल्प है जिससे समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। एक स्वच्छ ग्राम से एक स्वच्छ राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से समर्थन द्वारा इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस मार्गदर्शिका के निर्माण में समर्थन के अनुभवी कार्यकर्ताओं एवं जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के अनुभवों को समावेशित किया गया है। आशा है कि इस प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने से हम अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे।

इस मार्गदर्शिका का उपयोग कर ग्रामीण अंचल में सामाजिक अंकेक्षण द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की "सत्यापन प्रक्रिया" को मूर्तरूप देने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से पूर्व शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।

योगेश कुमार
निर्देशक, सर्मथन सेंटर फार डेव्लपमेंट सर्पोट, भोपाल म.प्र.

मार्गदर्शिका का उद्देश्य

2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150 वीं जन्मतिथि के अवसर पर सम्पूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। तभी स्वच्छता के लिए निर्धारित मापदण्डों को स्थापित किया जा सकेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। ताकि सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) ग्राम बनाया जा सके। सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अपने उदेद्श्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि समुदाय को इसके केन्द्र में रखा जाए ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके तथा व्यवहार परिवर्तन की इस मुहिम में कोई भी परिवार न छूटे।

गांव को ओडीएफ बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक माध्यम है। जिसमें गांव के लोगों को अपने बीच से सत्यापन दल का चुनाव करके, स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं एवं तथ्यों को एकत्रित एवं विश्लेषित करने का अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों के सत्यापन दल में होने से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को ग्राम सभा में अच्छी तरह से चलाया जा सकता है।

इस मार्गदर्शिका में यथा संभव ऐसे सभी बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है। जिनके द्वारा ओडीएफ होने जा रहे ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है जैसे – सत्यापन दल का चयन कैसे किया जाए? उनका उन्मुखीकरण कैसे किया जाए ? सत्यापन दल तथ्यों को कैसे एकत्रित करेगा ? विभिन्न प्रपत्रों को कैसे भरा जाएगा ? दस्तावेजीकरण करके उनको ग्राम सभा में कैसे प्रस्तुत किया जाएगा ?

यह आशा की जाती है कि, यह मार्गदर्शिका स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं, सत्यापन दल, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जमीनी अमले व ग्राम सभा सदस्यों की मदद करेगी। साथ ही सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय के स्वच्छता संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगी।

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण
1	परिपेक्ष्य
2	खुले में शौच से मुक्ति क्या है...?
3	खुले में शौच से मुक्ति ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण क्यों ?
4	खुले मे शौच से मुक्त ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण का स्वरूप
5	सामाजिक अंकेक्षण के प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया -
	1. सामाजिक अंकेक्षण के लिए सत्यापन दल का गठन
	2. सत्यापन दल का उन्मुखीकरण
	3. स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान एवं विश्लेषण
	4. दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन तैयार करना
	5. ग्राम सभा का आयोजन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
	6. प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों को ग्राम पंचायत में जमा कराना
6	खुले में शौचमुक्ति का समारोह (ODF Celebration)
7	परिशिष्ट - 1 प्रारूप : व्यक्तिगत शौचालयों का भौतिक सत्यापन (सामाजिक अंकेक्षण के परिपेक्ष्य)
	परिशिष्ट - 2 प्रारूप : घरेलु स्तर पर शौचालय के उपयोग का सत्यापन
	रिशिष्ट - 3 प्रारूप : शासकीय स्थलों का भौतिक सत्यापन
	परिशिष्ट - 4 प्रारूप : ग्राम के भौगोलिक क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति (सघन अवलोकन आधारित)
	परिशिष्ट - 5 प्रारूप : सार्वजनिक भवनों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति
	परिशिष्ट - 6 प्रारूप : सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति
	परिशिष्ट - 7 प्रारूप : पंचायत में शौचालय से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन
	परिशिष्ट - 8 प्रारूप : सत्यापन के परिणाम का दस्तावेजीकरण

परिपेक्ष्य

भारतीय ग्रामीण परिवेश में खुले में शौच जाना सामान्य बात है। सामान्यतः इसे आत्म सम्मान एवं मर्यादा से जोड़कर नही देखा गया। अब जबकि गांव में पक्की सड़के, बिजली, पानी की व्यवस्था हो रही है। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बन रहे हैं, तो फिर खुले में शौच क्यों ? यह प्रश्न सभी के मन में उठना चाहिए, ताकि खुले में शौच की जो आदत सहज ही बन गयी है, उसे बदलने के लिए समुदाय आंगे आये। समुदाय खुले में जहाँ तहाँ फैले मानव मल के कारण प्रदूषित होते पेयजल स्त्रोतों एवं बीमारियों से अपने परिवार तथा गांव को बचा सके एवं गरीबी के कुचक्र को भी तोड़ सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े भी यही बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बीमारियों का कारण खुले में मल का त्याग करना है।

वर्तमान में देश के लगभग 50 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो कि खुले में शौच के लिए जाते हैं। सन् 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानंमत्री जी द्वारा दिये गए भाषण एवं इस अभियान में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जुड़ने के पश्चात् देश में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर एक नवचेतना का सृजन हुआ है। आज लोग अन्य सामाजिक/आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ स्वच्छता पर भी चर्चा करने लगे हैं। सरकारी तंत्र, पंचायती राज संस्थान एवं स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों के साथ मिलकर ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। किंतु आज भी ग्रामों में शौचालय विहीन परिवारों के अलावा बहुत से एसे परिवार हैं, जो शौचालय होने के बावजूद भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। यह मामला व्यवहार से जुड़ा हुआ है जिसके लिए सभी को शौचालय निर्माण के साथ इसके उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना एवं अस्वच्छ व्यवहार में बदलाव लाना समुदाय की सहभागिता के बिना सम्भव नही है।

शासकीय दबाव या सरपंच द्वारा अति उत्साहित होने के कारण कई ग्राम पंचायतें स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित तो कर रही हैं। किंतु वास्तव में ये पंचायतें खुले में शौच से मुक्त गांव के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समुदाय के लोग किसी ग्राम/पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया को समझें एवं उसका सही मूल्यांकन करें।

समुदाय स्वयं किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में भागीदार बनता है तो स्वभाविक रूप से उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं तथा उनको करने में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको दूर करने में मददगार साबित होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के खुले में शौच से मुक्ति की सत्यापन प्रक्रिया में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता एवं सामुदायिक निगरानी की बात कही गई है। जिससे समुदाय में स्वच्छता के प्रति सामूहिक दायित्व की भावना विकसित हो तथा समुदाय ग्राम सभा के माध्यम से स्वयं आगे आकर अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाएं। इसके लिए निर्धारित सभी मापदण्डों का पालन करे ताकि समुदाय के व्यवहार एवं नजरिए में स्वच्छता के प्रति बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसलिए गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को चलाने की जरूरत है।

खुले में शौच
से मुक्ति क्या है...?

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून 2015 को सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए पत्र में खुले में शौच से मुक्ति **(ODF)** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

खुले में शौच से मुक्ति **(ODF)** का तात्पर्य है "मल के मौखिक संचरण की समाप्ति" एवं इसमें निहित है :

अ.) आसपास के पर्यावरण एवं ग्राम में कहीं भी खुले में पड़ा हुआ मल न दिखाई दे तथा
ब.)हर घर एवं सार्वजनिक / सामुदायिक संस्थाएं मल के निपटान के लिए सुरक्षित तकनीकी विकल्प का उपयोग करें।

(सुरक्षित तकनीकी विकल्प से तात्पर्य ऐसी तकनीकी से है, जिससे मक्खियों या जानवरों के माध्यम से मल-मूत्र का सतही मिट्टी, भूजल या सतही जल से सम्पर्क ना हो तथा ताजे मल के व्यवस्थापन एवं उसके गंध और अवांछनीय अवस्था से मुक्ति मिल सके। अर्थात् हम कह सकते हैं कि "खुले में शौच से मुक्ति" वह व्यवस्था है, जिसमें किसी भी माध्यम से मल का मुख तक संचरण पूर्णतः बाधित हो जाता है। ग्राम/टोले का कोई भी व्यक्ति खुले में मल त्याग नहीं करता और इसके लिए वो शौचालय का उपयोग करता है।)

खुले में शौच से मुक्ति
ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण क्यों ?

आज कई ग्राम पंचायतों में सभी घरों में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है या कुछ घरों में शौचालय निर्माण चल रहा होता है और ग्राम पंचायत द्वारा अपनी पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया जाता है, इस बात को महत्व दियें बिना कि वास्तव में इन शौचालयों का उपयोग परिवारों द्वारा किया जा रहा है या नहीं, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके द्वारा शौचालय का उपयोग नही किया जा रहा है ? यदि यह निर्णय समुदाय द्वारा लिया गया था तथा जिसके कियान्वयन की जिम्मेदारी भी समुदाय के द्वारा पंचायत के सहयोग से निभाई गई है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि गांव को खुले में शौच से मुक्त करने में सरकार तथा अन्य संस्थायें भी प्रभावी भूमिकाएं निभा रही हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों में भी समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता की बात को प्रमुखता दी गई है। ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया द्वारा न केवल गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, साथ ही ऐंसे परिवार जो किन्हीं कारणों से शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनकी जानकारी मिलेगी, जिससे उनके निदान के अवसर प्राप्त होगें।

सामाजिक अंकेक्षण द्वारा गांव में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के अन्य पहलुओं पर समुदाय के विचार जानने का अवसर मिलेगा तथा गांव में स्वच्छता की निरंतरता बनाने में समुदाय की भूमिका एवं जिम्मेदारी भी स्थापित होगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप जो राशि पात्र हितग्राहियों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है वह वही पैसा है जो हम सरकार को कर के रूप में देते हैं । इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को नजदीक से देखने एवं इसके प्रभाव को महसूस करने के लिहाज से खुले में शौच से मुक्त ग्राम/पंचायतों का सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार जिस लोकनिधि को समाज के कल्याण के लिए खर्च करती है उस राशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम या योजना में लक्षित समूह के अनुभवों के आधार पर गुण-दोषों की समीक्षा करना एवं सीख के आधार पर आगे की दिशा तय करने के लिए लोक केंद्रित एक प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। यहां गुण-दोष का मतलब है कि योजना क्रियान्वयन के दौरान निर्धारित मापदंडों (पात्रता, प्राथमिकता) का पालन हुआ या नहीं, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया या नहीं, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया या नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया गया, सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गई है या नहीं, योजना या कार्यक्रम संचालन से समाज के किसी तबके को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान तो नहीं हुआ, पर्यावरणीय नुकसान तो नहीं हो गया, आदि।

निर्माण कार्यों के संदर्भ में यह बात सीधे समझी जा सकती है किंतु व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों को अलग प्रकार से समझना होगा। यदि किसी ग्राम या पंचायत के केवल घरों में शौचालय बन जाने के आधार पर खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाता है तो वह कभी भी स्वच्छ भारत मिशन के उदेद्श्य को प्राप्त नही कर सकता है। क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को अपनाए जाने से कई प्रकार के दूसरे लाभ भी होगें तथा गांव में स्वच्छता के लिए निर्धारित मापदण्डों की निरंतरता में सहयोग मिलेगा।

खुले में शौच से मुक्ति
की अवस्था का सत्यापन कैसे करें...?

पंचायत की खुले में शौच से मुक्ति का सत्यापन समुदाय संचालित समग्र स्वच्छता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे जिसमें समुदाय स्वयं जिम्मेदारी ले और सत्यापन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लोग स्वयं अपनी समस्याओं को निकाले, विश्लेषण करें और हल निकालने का प्रयत्न करें। यह कहा जा सकता है कि खुले में शौच से मुक्ति की अवस्था का सत्यापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह समुदाय के द्वारा, समुदाय के साथ, समुदाय के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाना अत्यंत ही आसान है। किंतु आपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे नियोजित तरीके से पूरी गंभीरता के साथ चलाया जावे। जिस प्रकार मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता से कार्यो का सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। उसी प्रकार सामाजिक अंकेक्षण पद्धति के आधार पर खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत का भी समुदाय की भागीदारी से समुदाय आधारित सत्यापन किया जा सकता है। लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं को नजदीकी से देखने, समझने, योजनाओं के प्रभाव को महसूस करने के लिहाज से सामाजिक अंकेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामाजिक
अंकेक्षण क्या है?

सामाजिक अंकेक्षण का सीधा सा अर्थ है कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जो कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पंचायत/संस्था/स्व सहायता समूह द्वारा कराए गए या किए जा रहे हैं, प्रत्येक कार्य विशेष (शौचालय निर्माण) के समाप्त होने पर या क्रियान्वयन के दौरान उस कार्य से संबंधित सभी पहलुओं व तथ्यों का बारीकी से निरीक्षण किया जा सके। निरीक्षण का मतलब है कि कार्य विशेष से जुड़े विभिन्न मदों पर कितना खर्च हुआ है ? कार्य की गुणवत्ता कैसी व कितनी रही ? प्रस्तावित कार्य को पूरा कराया गया है या नहीं ? लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं ? सामाजिक परिपेक्ष्य में यही सामाजिक अंकेक्षण है।

सामाजिक परिपेक्ष्य का आशय है कि समाज से संबंधित कार्य या ऐसा कोई कार्य जो समाज के विकास के लिए समाज के संसाधन से कराया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक हित सुनिश्चित होना है। व्यापक अर्थों में ये सामाजिक अंकेक्षण 'हमारा पैसा – हमारा हिसाब' की अवधारणा का एक स्वरूप है।

खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण का स्वरूप

खुले में शौच से मुक्ति (ODF) का सामाजिक अंकेक्षण

क्या है?	ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना के अनुसार किए गए कार्यों की समुदाय द्वारा निगरानी और मूल्यांकन ही सामाजिक अंकेक्षण है।
कौन करेगा ?	ग्राम सभा में सत्यापन दल के सहयोग से समुदाय द्वारा ही किया जाता है।
किसका ?	''मल के मौखिक संचरण की समाप्ति'' का सत्यापन किया जाता है। अर्थात प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौच के लिए शौचालय का उपयोग सुनिश्चित हो एवं खुले में मल नही पड़ा हो। शौचालय की गुणवत्ता, लोक स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के प्रति व्यवहार में परिवर्तन।
किन बातों का ?	गांव को ओ.डी.एफ बनाने के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसके क्रियान्वयन के दौरान आई समस्याओं, संसाधन की उपलब्धता समुदाय के सहयोग तथा निर्धारित परिणाम की प्राप्ति 'नियोजन' से 'परिणाम' तक सभी स्तरों का सत्यापन।
किस संदर्भ में ?	व्यवहार परिवर्तन तथा शौचालय निर्माण कार्य का भौतिक व वित्तीय मूल्यांकन, उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता के संदर्भ में।
किन पहलूओं पर केंद्रित होता है ?	संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों।
उपयोगिता क्या होगी ?	प्राप्त जानकारियों के विश्लेषण से आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक मुद्दे और दिशा तय की जा सकती है, सुधार की आवश्यकता को पहचानना, व्यवहार परिवर्तन के मापदंण्ड को निर्धारित करने मे उपयोगी।

पंचायत को खुले में शौच से मुक्ति के लिए सामाजिक अंकेक्षण के चरण निम्न लिखित हैं।

सामाजिक अंकेक्षण के प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया

1. सत्यापन दल का गठन
2. सत्यापन दल का उन्मुखीकण
3. स्वछता से जुड़ी समस्याओं एवं मुददो की पहचान एवं विश्लेषण
4. दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन तैयार करना
5. ग्राम सभा का आयोजन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
6. प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों को ग्राम पंचायत में जमा कराना

उपरोक्त चरणों में किये जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

1 सामाजिक अंकेक्षण के लिए सत्यापन दल का गठन

खुले में शौच से मुक्ति के सत्यापन के लिए ग्राम में निर्मित ग्राम तदर्थ समिति या मनरेगा की संपरीक्षा समिति या ग्राम की निगरानी समिति या ग्राम विकास समिति एवं निर्माण समिति के सदस्य यदि सक्रिय हैं तो उनसे सत्यापन कराया जा सकता है। यदि ग्राम में समितियां सक्रिय नही हैं तो सर्वप्रथम ग्राम के प्रत्येक टोले ,बस्ती ,वार्ड, जाति एवं वर्ग से एक-एक व्यक्ति, निगरानी समिति के सदस्य, पंच, राजमिस्त्री जिन्होंने ग्राम में निर्माण काम नहीं किया है, सामाजिक कार्यकर्ता आदि को मिलाकर 10 से 15 सदस्यों के सत्यापन का गठन करना होगा। सत्यापन दल में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। सत्यापन दल के सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु एक सुगमकर्ता का चयन भी किया जावे जिसमें कोई स्वयं सेवी संस्था का सदस्य या ग्राम का कोई पढा-लिखा युवक भी हो सकता है।

2 सत्यापन दल का उन्मुखीकरण

खुले में शौच से मुक्ति के सत्यापन के पूर्व सत्यापन दल के सदस्यों का उन्मुखीकरण करना आवश्यक है। ताकि वे समझ सकें कि सत्यापन क्यों ? कैसे ? किस प्रकार करना है ? सदस्यों को स्पष्ट हो कि खुले में शौच से मुक्ति की अवधारणा क्या है ? दल को सत्यापन के दौरान किस प्रकार की सावधानियां रखने की जरूरत है ? दल की समझ विकसित करना ताकि वे जान सकें कि ग्राम की खुले में शौच से मुक्ति की वास्तविक स्थिति का आंकलन किस प्रकार करना है। सत्यापन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों के बारे में विस्तार से समझ विकसित कर दल के सदस्यों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जा सकें।

- सत्यापन प्रक्रिया पर समझ विकसित करनी होगी।
- व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अवलोकन जिसमें भौतिक एवं मौखिक सत्यापन के दौरान हाथ धोने की आदत, बच्चों के मल का निपटान, पानी के रखरखाव एवं निकास की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, के बारे में बताना होगा।

सत्यापन के दौरान सुगमकर्ता द्वारा निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाए

- परिचय दें और लें और जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य स्पष्ट करें तथा यह अवश्य बताएं कि इस जानकारी के द्वारा हम कैसे अपने गांव के संदर्भ में स्वच्छता की स्थिति एवं उससे जुड़ी समस्याओं की वास्तविकता को समझ सकेंगे।
- व्याख्यान न दें बल्कि लोगों को देखें, सुने और सीखने का प्रयत्न करें।
- तनाव रहित रहें। सकारात्मक नजरिया रखें और किसी भी कार्य को करने में शीघ्रता न दिखाएं।
- लोगों से उनके समयानुसार मिले न कि अपनी सुविधानुसार।
- जो कुछ देखें उसे जानने का प्रयास करें, अवांछनीय को अनदेखा करने का प्रयास करें।
- सहयोगियों की सहायता लें। जैसे कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे और क्या प्रश्नों का समावेश करें।
- लोगों से सीखने में रुचि व उत्साह दिखाएं। यह कदापि दिखाने का प्रयास न करें कि आप उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं।
- किसी की आलोचना न करें। किसी भी परिस्थिति में आलोचना से बचें।
- उनकी कमजोरी उजागर ना करें और ना ही किसी पर दोषारोपण करें।
- किसी प्रकार की शंका का समाधान / सत्यापन करने का प्रयास करें।
- सत्यापन के दौरान शासकीय अमले की सहभागिता को सुनिश्चित करें।
- शौचालय की तकनीकी डिजाइन तथा तकनीकी से जुड़ी विभिन्न बाते जैसे कितनी दूरी पर गड्ढा बनाना चाहिए, जल स्त्रोतों से दूरी पर आदि पर चर्चा करें।
- खुले में शौच के स्थलों पर यदि कोई शौच कर रहा है तो उसकी फोटो न ले जब वह वापस आए तभी उससे बातचीत करें।
- महिला जिन स्थलों पर शौच के लिए जाती रही हैं उन पर सत्यापन दल की महिला सदस्यों को भेजे, किसी के घर से गंदा पानी निकल रहा है या जिन घरों के आसपास गन्दगी है तो उसके घर की आलोचना न करें इसको कैसे सुधारा जा सकता है इसपर बातचीत करें।
- लोगों को सत्यापन प्रक्रिया के बारे में अवश्य बताएं तथा वे कैसे इसमें भागीदार हो सकते हैं इसपर चर्चा करें।
- गांव को स्वच्छ एवं साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है ? इसपर लोगों के विचार अवश्य लें तथा जिन मोहल्लों में ऐसा किया जा रहा है उनको अवश्य लिखे।

3 स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान एवं विश्लेषण

(3.1) भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की एम.आई. एस (MIS) से तथ्यों को जुटाना

ग्राम पंचायत की जानकारी एवं तथ्यों को जुटाने के लिए सत्यापन दल भारत सरकार की बेवसाइट में बताए गए तरीके के अनुसार जाकर पंचायत मे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एम. आई.एस को देखने का विस्त्रित विवरण संलग्नक 9 मे दर्शाया गया है।

(3.2) ग्राम पंचायत से तथ्यों को जुटाना

पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जो कार्य हुए हैं उनसे जुड़े हुए रजिस्ट्रर, स्वच्छ भारत मिशन व अन्य मदों जैसे मनरेगा, 14 वें वित्त आयोग आदि से निर्माण कराए गए शौचालय के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध रहती है।

सत्यापन दल को सर्वप्रथम पंचायत में जाकर सचिव/सरपंच तथा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी। दल को अपना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह जानकारी होनी चाहिए कि पंचायत के द्वारा गांव में स्वच्छता संबंधित क्या-क्या कार्य कराए गए हैं। उसकी कार्ययोजना क्या बनाई गई थी ? क्या निर्णय ग्राम सभा/पंचायत द्वारा लिया गया था ? यदि पंचायत द्वारा सामाजिक मानचित्रण किया गया है व गंदे स्थलों की पहचान की गई है तो उसकी एक प्रति सत्यापन दल को लेना चाहिए।

- शौचालय के मांग पत्रों या आवेदनों की सूची।
- ग्राम में कितने परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हुआ है उनकी सूची।
- शौचालय निर्माण में पंचायत एवं स्वयं हितग्राही द्वारा निर्मित शौचालयों की प्रथक-प्रथक सूची।
- पात्र परिवार जिनको सरकार की योजना से लाभ मिला उनकी सूची।
- पात्र परिवार जिनको योजना का लाभ नही मिला उनकी सूची।
- ऐसे पात्र परिवार जिनका पोर्टल पर नाम नहीं है उनकी सूची।

(3.3) सत्यापन दल द्वारा समुदाय एवं परिवार से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं चर्चा

भारत सरकार के पोर्टल व पंचायत द्वारा प्राप्त जानकारी के सत्यापन व अन्य जानकारियों के संग्रहण हेतु सत्यापन दल सुझाये गये फार्मेटों का उपयोग कर सकता है। संलग्नक 1 से 7 तक दर्शाए गए फार्मेट प्राथमिक रूप से प्राप्त जानकारी का समुदाय की जानकारी से मिलान करने, मुद्दो को चिन्हित करने व उनका भौतिक सत्यापन करने मे सहयोगी होंगे। इन फार्मेटों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए सत्यापन दल को अलग – अलग मोहल्लों में जाकर प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत संपर्क करना होगा। मोहल्ले में लोगों के साथ सामूहिक चर्चा करनी होगी, विभिन्न स्थलों का भ्रमण एवं अवलोकन करना होगा।

• व्यक्तिगत शौचालय का भौतिक सत्यापन

इस प्रक्रिया में फार्मेट 1 का उपयोग किया जावेगा। जानकारी को एकत्र करने के लिए दल के सदस्यों को प्रत्येक परिवार के मुखिया से सम्पर्क कर शौचालय निर्माण से जुड़ी जानकारी जैसे- गुणवत्ता, संतुष्टि का स्तर आदि को जानना होगा। मौखिक सत्यापन में भ्रमण के दौरान ग्राम के हर मोहल्ले/टोले में जाकर परिवारों से चर्चा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि ग्राम का कोई भी व्यक्ति अब भी खुले में शौच तो नहीं कर रहा है। लोगों से बातचीत करते समय उनके आत्मविश्वास एवं गर्व के भाव को भी समझने का प्रयास करें । मौखिक सत्यापन के साथ साथ ग्राम में ग्रह भेंट कर भौतिक सत्यापन भी करें। शौचालय निर्माण की गुणवत्ता एवं उपयोग की स्थिति को जानने का प्रयास करें। यदि लोग घर पर नहीं मिल पाते है तो समिति के सदस्यों छोटे –छोटे दल बनाकर टोलों व बस्तियों मे सभी जाति, वर्ग के लोगों के साथ समूह चर्चा के माध्यम से स्वच्छता की स्थिति का आंकलन करें। व्यक्तिगत सम्पर्क के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को भी प्रत्यक्ष रूप से देखना आवश्यक है :

- ☞ क्या घर में शौचालय बना है ?
- ☞ यदि घर में कोई निःशक्त व बुर्जुग सदस्य हैं तो क्या उसके अनुरूप शौचालय बना है?
- ☞ शौचालय किस प्रकार का है, सोख्ता गड्ढा या सेप्टिक टैंक वाला ?
- ☞ यदि सेप्टिक टैंक बना है तो उसके ओवर फ्लो के पाईप में ढक्कन या सोखता गड्डा बना है (टैंक में मल का उचित निपटान) गैस पाइप के मुंह पर जाली लगी है ?
- ☞ शौचालय का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण है ?
- ☞ शौचालय निर्माण की एजेंसी कौन ? (पचांयत / स्वयं)
- ☞ यदि एजेंसी पचांयत है तो हितग्राही निर्माण कार्य से संतुष्ट है या नही ?

• घरेलू स्तर पर शौचालय के उपयोग का सत्यापन

फार्मेट 2 का उपयोग करते हुए परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग करने एवं न करने वाले सदस्यों की जानकारी, बच्चों के मल के निपटान की स्थिति, शौचालय में पानी की उपलब्धता तथा शौचालय का अवलोकन करके उसके उपयोग की वास्तविक स्थिति को दर्ज करना है। इसी के साथ व्यवहार परिवर्तन में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शौचालय के उपयोग की स्थिति को जानने का भी प्रयास करें। यह जानने का प्रयत्न करें कि ग्राम से खुले में शौच की प्रथा पूर्णतः बन्द हो गई है या नहीं। यदि कुछ लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं तो वे कौन से परिवार हैं ? उनके इस व्यवहार के पीछे प्रमुख कारण क्या हैं ? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ? वे कौन लोग हैं ? वे शौच के लिए कहां जाते हैं ? आदि जानकारियों को भी संग्रहित करे।

यह पता करने का प्रयत्न करें कि क्या परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है ? छोटे बच्चों के मल के निपटान की क्या व्यवस्था है ? शौच के बाद / बच्चों के मल के निपटान के बाद व भोजन ग्रहण करने से पहले साबुन से हाथ धोए जाते हैं अथवा नहीं ? चर्चा के दौरान किसी प्रकार के विरोधाभाषी अनुभव होने पर लोगों से लिखित में शिकायत करने का आग्रह करें। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना आवश्यक है :

☞ शौचालय उपयोग में है, इसके प्रमाण देखने में आ रहे हैं अथवा नहीं ?

☞ शौचालय के पास पानी एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था है या नही?

☞ समुदाय में व्यवहार की स्थिति को देखना।

● शासकीय स्थलों का भौतिक सत्यापन इस प्रक्रिया में शासकीय स्थलों जैसे

स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग, हाथ धुलाई की व्यवस्था, पीने के पानी का रखरखाव, गंदे पानी की निकासी, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था तथा ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी जुटानी होगी। सभी परिवारों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् सत्यापन दल के साथी हितभागियों व समिति सदस्यों के साथ ग्राम के सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय स्थलों पर भ्रमण करें। इन स्थानों पर जाकर शौचालय, जल एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं एवं संरचनाओं को देखें एवं उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता की स्थिति का आंकलन करें।

भ्रमण के दौरान चर्चा एवं अवलोकन के आधार पर निकलकर आए तथ्यों का फार्मेट 3 में दस्तावेजीकरण करें :

● ग्राम के भौगोलिक क्षेत्र (स्थान) मे खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति (सघन अवलोकन आधारित)

फार्मेट 4 को ध्यान में रखते हुए ग्राम के भौगोलिक क्षेत्र (स्थान) जहॉं कि पूर्व में खुले में शौच के लिए जाया जाता था, सत्यापन दल के सदस्यों को उन स्थलों में जाकर अवलोकन करना होगा। वास्तविक स्थिति को फार्मेट में दर्ज करना होगा। दल के सदस्य अलसुबह या देर शाम उन क्षेत्रों का भ्रमण करें जहां लोग पहले खुले में शौच के लिए जाते थे। जैसे - ग्राम के पास का खुला मैदान, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, भवनों की आड़ में आदि। यह भी सुनिश्चित करें कि वहां अब भी खुले में मल तो नही है। इस कार्य में सत्यापन दल के सदस्यों की नाक मदद करेगी। सत्यापन के इस चरण मे आप दल के सदस्यों को छोटे-छोटे भागों में बांट सकते है :

नोट :- ऐसे स्थलों को सुबह-शाम फॉलो-अप करना होगा तथा जो व्यक्ति खुले में शौच जाते हुए मिलते हैं उनकी सूची भी सत्यापन दल द्वारा बनाई जानी चाहिए।

सार्वजनिक भवनों में स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत में उपलब्ध सार्वजनिक भवनों जैसे पंचायत भवन, मांगलिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य सार्वजनिक भवन में सुरक्षित शौचालय की उपलब्धता तथा उसके उपयोग की स्थिति के साथ पानी की उपलब्धता को फार्मेट 5 में दर्ज करना होगा। सत्यापन दल के सदस्य अवलोकन कर सुनिश्चित करे कि उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लोग कर रहे है या नहीं ?

सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की स्थिति

इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में अच्छा होगा कि सत्यापन दल समुदाय से चर्चा कर ऐसे स्थानों की सूची बनाये जहॉ लोगों का आवा–गमन ज्यादा हो जैसे बस स्टैण्ड, हॉट बाजार, औद्योगिक क्षेत्र आदि। सूची बन जाने पर दल के द्वारा उन स्थानों पर जाकर स्वच्छता की स्थिति को जॉचा परखा जावेगा। दल ऐसे स्थानो के रखरखाव को भी ध्यान से देंखे। अवलोकन उपरान्त फार्मेट 6 में जानकारी का दस्तावेजीकरण करें।

पंचायत में उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन सत्यापन

दल द्वारा ग्राम में समुदाय एवं परिवार के साथ व्यक्तिगत एवं समूह चर्चा खत्म होंने के पश्चात् फार्मेट 7 के अनुसार पंचायत भवन में सरपंच, सचिव, पंच एवं रोजगार सहायक आदि के साथ बैठकर सभी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। ताकि सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के पूर्व पंचायत के सभी दस्तावेज ग्राम सभा द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध हो सकें।

- शौचालय निर्माण के मांग पत्र या आवेदन पंचायत में होना चाहिए।
- शौचालय निर्माण एवं भुगतान से संबंधी दस्तावेज पंचायत में होना चाहिए।
- ग्राम पंचायत का खुले में शौच से मुक्ति का प्रस्ताव पंचायत में होना चाहिए।
- खुले में शौच मुक्त करने के दौरान की गई गतिविधि के साक्ष्य, फोटो या अन्य दस्तावेज पंचायत में होना चाहिए।
- क्या ग्राम में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, यदि हॉ तो इसके रखरखाव की क्या व्यवस्था बनाई गई है ? और यदि नही ंतो क्या इसका प्रस्ताव ग्राम सभा के सम्मुख रखा गया है ?
- क्या समुदाय/ग्राम सभा द्वारा ग्राम को खुले में शौचमुक्त वातावरण को निरंतर बनाये रखने की कोई कार्ययोजना बनाई गयी है ? आदि।

4 दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन तैयार करना

दस्तावेजी करण करने हेतु सत्यापन दल सुझाये गये फार्मेट 8 का उपयोग कर सकता है। फार्मेट 1 से 7 तक पंचायत में उपलब्ध दस्तावेजों, एम. आई.एस डेटा व समुदाय से मिली जानकारी का मिलान करने के उपरान्त, दल संग्रहित जानकारियों, भौतिक निरीक्षण के अनुभवों व समुदाय से हुई चर्चा के आधार पर इस फॉर्मेट को भरे।

- ## सत्यापन के परिणाम का दस्तावेजीकरण

फार्मेट 8 में सभी फार्मेटों (1 से 7) से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका परिणाम लिखा जाएगा ताकि सत्यापन दल पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए होने वाले सामाजिक अंकेक्षण में वास्तविक परिणामों को ग्राम सभा के सामने कारगर तरीके से रख सके।

सत्यापन दल के सदस्य विभिन्न फार्मेटों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों के आधार पर स्थलों का नक्शे के माध्यम से भ्रमण करते हुए अवलोकन करें, जानकारियों का विश्लेषण करें एवं विश्लेषण तालिका में बिन्दुवार तथ्यों का उल्लेख करें। विश्लेषण से निकल रहे मुद्दों पर स्पष्टता होने के पश्चात प्रभावित लोगों से इस संबंध में बातचीत करते हुए उन्हें तथ्यों से अवगत कराएं जिससे वे ग्रामसभा में अपनी बात को रख सकें। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें सभी सदस्यों को साथ में बैठना होगा तथा मुद्दे वार चर्चा करनी होगी।

- **निर्माण संबंधी मुद्दों का विश्लेषण**

- **गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का विश्लेषण**

- **व्यवहार परिवर्तन के मुद्दों का विश्लेषण**

- **भुगतान संबंधी मुद्दों का विश्लेषण**

- **पानी संबंधी मुद्दों का विश्लेषण**

5 ग्राम सभा का आयोजन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

सत्यापान दल ने फार्मेट 1-8 तक को भरकर व लोगों के साथ बातचीत कर जिन तथ्यों को जुटाया गया है उनमे ऐसे लोगो/मोहल्ले का उल्लेख अवश्य करें जो बहुत समय से शौचालय का उपयोग कर रहे। सत्यापन दल को ऐंसे परिवारों के नाम भी बताने चाहिए जो स्वच्छता संबंधी अन्य बातों का भी पालन कर रहे हैं जिसके कारण उनके परिवार में बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। यह बात किसी मोहल्ले के लिए भी हो सकती है। ताकि समुदाय के आम लोग भी उनसे सीख सकें। स्वच्छ एवं गंदे स्थलों को सत्यापन दल के द्वारा गांव के सामाजिक मानचित्र पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। सत्यापन दल द्वारा यदि मोबाइल पर फोटो खींचे गए हैं तथा क्लिपिंग ली गई हैं तो उसको ग्रामसभा मे दिखाने के लिए एलसीडी/प्रोजेक्टर का भी उपयोग किया जा सकता है।

इसके पश्चात् पंचायतीराज अधिनियम की धारा (6) में निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्रामसभा का आयोजन करते हुए उसमें हितभागियों की उपस्थिति में समिति/अध्ययन, दल द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को सार्वजनिक चर्चा हेतु प्रस्तुत करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रामसभा में ग्राम के सभी वर्ग एवं जाति के लोगों की सहभागिता हो। अच्छा होगा कि सत्यापन दल के सदस्य विषयवार प्रारूपों को प्रस्तुत करें इसके लिए दल के सदस्य आपस में जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं। साथ ही प्रारूपों से निकली जानकारी को यदि चार्ट पेपर में लिख लिया जाए तो और भी अच्छा होगा। सत्यापन दल के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे ध्यान रखे कि ऐंसे व्यक्ति जिन्होंने स्वच्छता के लिए अच्छा प्रयास किया है उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो ताकि एक सार्थक चर्चा हो सके।

सभी लोग आपस में चर्चा करते हुए यह तय करें कि ग्राम के सभी परिवारों द्वारा मल का ठीक प्रकार से निपटान किया जा रहा है या नहीं। इसके पश्चात् आपसी सहमति के आधार पर ग्राम के खुले में शौच से मुक्त होने या ना होने का प्रमाणीकरण किया जाता है। यदि ग्रामसभा को कुछ कमियां देखने को मिलती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव निगरानी समिति/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सामने रखें। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसे भी ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसके निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। जब ग्रामसभा में उपस्थित सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हों कि ग्राम का कोई भी परिवार अब खुले में मल त्याग नहीं करता है तभी उसे खुले में शौच से मुक्त घोषित करें। यदि इस दौरान ग्राम का एक भी परिवार/व्यक्ति खुले में मलत्याग करता पाया जाता है तो खुले में शौच करने के कारणों का पता करना यदि व्यवहार के स्तर का मामला है तो सभी ग्रामवासी मिलकर उसका समाधान निकालें। यदि मामला प्रशासनिक स्तर का है (1.शौचालय की गुणवत्ता, 2. प्रोत्साहन राशि 3. अन्य कोई कारण) तो उसकी लिखित सूचना जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को दें। पंचायत द्वारा जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कराने हेतु प्रयास करें। समाधान के पश्चात् पुनः एक विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर ग्राम को खुले में शौच से मुक्त घोषित करें।

6 प्रतिवेदन एवं संलग्न
दस्तावेजों को ग्राम पंचायत में जमा कराना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निदशों के अनुसार किसी भी ग्राम/पंचायत द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त ग्राम/पंचायत घोषित करनें के उपरान्त, राज्य एवं केन्द्र स्तर के मुल्यांकन दल द्वारा उस ग्राम/पंचायत का निरीक्षण किया जाता है। अतः उचित होगा कि सामाजिक अंकेक्षण के परिपेक्ष्य में सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा भौतिक सत्यापन, व्यक्गित सम्पर्क, समूह चर्चा, गांव के सार्वजनिक एवं शासकीय स्थानों के भ्रमण व पंचायत स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के समय उपयोग की जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं का प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों सहित जो ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गए थे उनको पंचायत में जमा कर दिया जावे। किसी भी बाह्य दल द्वारा ग्राम/पंचायत का भ्रमण करने पर उक्त दस्तावेज उपलब्ध होने से निरीक्षण दल के लिए पंचायत मे चलाई गई प्रक्रिया को जानने व समझने मे आसानी होगी।

दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है –

- ☞ ग्राम का नक्शा जिसमें बस्तियों एवं पूर्व मे खुले में शौच करने वाले स्थानों को चिन्हाकन किया गया हो।
- ☞ MIS की प्रति जिसके माध्यम से सत्यापन किया गया है।
- ☞ भौतिक सत्यापन में निर्मित शौचालयों की सूची की सत्यापित प्रति।
- ☞ संलग्न प्रपत्र जो सत्यापन में उपयोग किए गऐ थे।
- ☞ सत्यापन के दौरान जो परिवार पचांयत के काम से संतुष्ट नही है, उनकी कारण सहित सूची एवं प्रतिवेदन।
- ☞ जिन परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन से लाभ नहीं मिला उनकी सूची।
- ☞ अन्य मुद्दे। फोटोग्राफ, वीडियोंरिकॉर्डिंग।
- ☞ केस स्टडी। यदि कोई हो तो।

खुले में शौचमुक्ति का समारोह (ODF Celebration)

यदि ग्राम सभा यह घोषणा कर दे कि यह ग्राम विशेष खुले में शौच से मुक्त हो गया है तब ग्रामीण जिला/विकासखण्ड के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को हिस्सा लेने हेतु आमंत्रित करते हुए उनके साथ मिलकर "सामुदायिक स्वच्छता उत्सव" की तिथि का निर्धारण करेंगे। गांव में गर्व से समस्त अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए समुदाय के सभी लोगों के साथ इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव के लिए निर्धारित तिथि पर ग्राम के सभी लोग एक सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित हों, वहां पास के खुलें में शौच जाने वाले ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया जाए जिससे वो भी प्रेरित होकर अपने ग्राम/समुदाय को खुले में शौच से मुक्त करने का निर्णय ले सकें। सभी लोगो के एकत्रित हो जाने पर गाजे-बाजे के साथ नारे लगाते हुए ग्राम में रैली निकाली जाएगी। सभा स्थल पर वापस आकर उन स्वभाविक नेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सतत् निगरानी के माध्यम से ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर सभी ग्रामीण स्वच्छता की शपथ लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त करें कि वे खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखेंगे। इस समारोह में सभी ग्रामवासियों द्वारा गांव को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने के प्रण के साथ स्वच्छता के अन्य घटकों को गांव में लागू करने की योजना भी बनानी चाहिए। जिसके मुख्य कार्य बिन्दु निम्नानुसार हो सकते हैं-

1. **गांव में भूमिगत के जल स्तर को बढ़ाना, बारिश के पानी को अधिक से अधिक रोकना, सोख्ता गड्ढा बनवाना आदि।**

2. **गांव में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने की कार्य योजना बनाना।**

3. **शौचालय का उपयोग करने के पश्चात् गांव में बीमारियों में आई कमी को जानने के सर्वे।**

4. **गांव के कूड़े-कचरे का व्यवस्थित निपटान की कार्ययोजना पर विचार किया जाना चाहिए।**

वर्ष 2009-10

संलग्नक- 1

फार्मेट -1 : व्यक्तिगत शौचालयों का भौतिक सत्यापन (सामाजिक अंकेक्षण के परिपेक्ष्य)

व्यक्तिगत शौचालयों का भौतिक सत्यापन (ग्राम : ....)

ग्राम पंचायत का नाम ....ग्राम का नाम...सर्वेक्षण की दिनांक.......................

क्र.	समग्र आई.डी. क्र	मुखिया का नाम /पिता का नाम	राशन कार्ड	जाति	शौचालय का निर्माण	शौचालय	यदि पचांयत ने बनाया तो शौचालय की गुणवत्ता ठीक है ? हॉ/नहीं यदि नहीं तो क्या				क्या निर्माण कार्य से संतुष्ट है ?	आज दिनांक तक प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई ?	रिर्माक
			APL / BPL		हॉ/नही	स्वयं/ पंचायत	कमरे	गड्डों का निर्माण	दरवाजा	अन्य	हॉ/नहीं	हॉ/नहीं	

संलग्नक- २

फार्मेट -२ प्रारूप : घरेलु स्तर पर शौचालय के उपयोग है सत्यापन (सभी घरों की संख्या के आधार पर इस पृष्ठ की प्रतिलिपियां बनाई जावें) ।

क्रं.	घर के मुखिया का नाम	घर में सुरक्षित शौचालय उपलब्ध है। (हाँ/नहीं)	यदि नही तो क्या किसी और का सुरक्षित शौचालय उपयोग किया जाता है। (हाँ/नहीं)	यदि 04 हॉ है तो किसका शौचालय उपयोग करते है मुखिया का नाम लिखें।	शौचालय के उपयोग की स्थिति ? 1. घर के सभी सदस्यों द्वारा नियमित रूप से 2. घर के कुछ सदस्यों द्वारा 3. शौच क्रिया के लिए उपयोग नहीं किया जाता 4. शौचालय उपयोग योग्य नहीं है।	यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के मल के निपटान की स्थिति 1. शौचालय में 2. गड्ढा खोदकर ढकना 3. खुले में फेकना/करना 4. लागु नहीं	क्या शौचालय में पानी की व्यवस्था है।	क्या शौचालय अवलोकन से शौच के लिए उपयोग किया जाना पाया गया ?	शौचालय के उपयोग उपरांत साबुन से हाथ धोया जाता है।	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्नक-3

फार्मेट - ३ प्रारूप : शासकीय स्थलों का भौतिक सत्यापन

क्र.	विवरण	स्कूल	आंगनवाडी केन्द्र
1	शौचालय विषयक जानकारी		
	1.1 शौचालय की उपलब्धता (हां/नहीं) यदि हाँ तो स्थिति (अच्छा/औसत/खराब)		
	1.2 यदि खराब है तो मरम्मत की आवश्यकता है (हां/नहीं)		
	1.3 बालक-बालिका/स्त्री-पुरूष के लिये अलग-अलग शौचालय (हा/नहीं)		लागू नहीं
	1.4 शौचालय में पानी की उपलब्धता (हां/नहीं)		
	1.5 शौचालय के बाहर साबुन की उपलब्धता (हां/नहीं)		
	1.6 हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलो में सेनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान हेतु इन्सिनेरेटर (हां/नहीं)		लागू नहीं
2	हाथ धुलाई		
	2.1 भोजन के पूर्व सभी छात्र-छात्रा/बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं (हां/नहीं)		
	2.2 हाथ धुलाई के लिए पानी की उपलब्धता है (पर्याप्त पानी है/ बहुत कम पानी है/ पानी नहीं है)		
	2.3 हाथ धुलाई के लिए साबुन की उपलब्धता (सदैव उपलब्ध रहता है/ कभी कभी उपलब्ध रहता है/ उपलब्ध नहीं है)		
	2.4 भोजन बनाने वाले कार्यकर्ता भोजन बनाने से पूर्व साबुन से हाथ धोते हैं (नियमित रूप से/ कभी कभी/ नहीं)		
3	पीने का पानी का रखरखाव		
	3.1 पीने के पानी का स्त्रोत (हैण्डपम्प/ नल-जल योजना/ अन्य)		
	3.2 पीने के पानी का पात्र (मिट्टी का पात्र/ प्लास्टिक का पात्र/ स्टील का पात्र/ कोई व्यवस्था नहीं)		
	3.3 पानी रखने का स्थान (साफ है/ गंदा है/ पानी का भराव है)		
	3.4 पानी निकालने के लिए पात्र (डंडी वाला लोटा/ बगैर डंडी वाला लोटा/ टोंटी लगा पात्र/ अन्य)		

	3.5 पात्र के रखरखाव की स्थिति (साफ एवं ढका/ गंदा एवं ढका/ खुला हुआ)		
4	गंदे पानी की निकास की व्यवस्था		
	4.1 शौचालय के बाहर (अच्छा/ औसत/ खराब)		
	4.2 हाथ धुलाई इकाई के पास (अच्छा/ औसत/ खराब)		
	4.3 पीने के पानी के पास (अच्छा/ औसत/ खराब)		
	4.4 मध्यान्ह भोजन परिसर के पास (अच्छा/ औसत/ खराब)		
5	मध्यान्ह भोजन व्यवस्था		
	5.1 भोजन परिसर में बनाया जाता है (हॉ / नहीं)		
	5.2 भोजन बनाये जाने वाले स्थान पर साफ सफाई की स्थिति (अच्छा/ औसत/ खराब)		
	5.3 भोजन बनाये जाने वाले स्थल पर साबुन की उपलब्धता (हॉ/नहीं)		
	5.4 भोजन बनाने वाली समूह की महिलाएं भोजन बनाने एवं परोसने से पूर्व साबुन से हाथ धोती है (हॉ / नहीं)		
	5.5 भोजन बनाने व परोसने के बर्तन साफ रखे जाते है (हॉ /नहीं)		
	5.6 भोजन के दौरान बच्चों के बैठने के लिए निश्चित स्थान की उपलब्धता (हॉ / नहीं)		
6	ठोस कचरा प्रबंधन		
	6.1 परिसर में स्वच्छता की स्थिति (अच्छा/ औसत/ खराब)		
	6.2 डस्टबिन की व्यवस्था (हॉ / नहीं)		
	6.3 डस्टबिन का उपयोग (हॉ / नहीं)		
	6.4 झूठे बचे भोजन के निपटारे की व्यवस्था (हॉ / नहीं)		
	6.5 ठोस कचरे के निपटारे हेतु गड्ढे की व्यवस्था (हॉ / नहीं)		

संलग्नक- ४

फार्मेट -४ प्रारूप : ग्राम के भौगोलिक क्षेत्र खुले में शौच मुक्ति की स्थिति (सघन अवलोकन आधारित) (इस बिन्दु हेतु सत्यापनकर्ता द्वारा खुले में शौच के लिए उपयोग होने वाले सभी स्थानों का भ्रमण करना होगा)

क्रमांक	पूर्व में खुले में शौच के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थान का नाम	क्रमांक ०२ के स्थानों के अवलोकन का दिनांक एवं समय	क्या कोई खुले में मल त्याग करते हुऐ पाया गया? (हॉं /नहीं)	क्या मानव मल खुले में पाया गया? (हॉं /नहीं)
1	2	3	4	5

संलग्नक- ५

फार्मेट -५ प्रारूप : सार्वजनिक भवनों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति

समुदायिक स्थान का नाम	क्या भवन में सुरक्षित शौचालय उपलब्ध है। (हाँ/नहीं)	क्या भवन में लोगों द्वारा शौचालय उपयोग किया जाता है। (हाँ/नहीं)	क्या सार्वजनिक भवन परिसर में कहीं भी खुले में शौच/मूत्र विसर्जन पाया गया। (हाँ/नहीं)	क्या सार्वजनिक भवन परिसर में पानी की उपलब्धता एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था है ? (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5

संलग्नक- ६

फार्मेट - ६ प्रारूप : सार्वजनिक स्थानों (जहॉ लोगों का आवा-गमन ज्यादा हो जैसे - बस स्टैण्ड, हाट बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, छोटे औद्योगिक क्षेत्र/ईकाई, ढाबा, होटल, प्रवासी मजदूर इत्यादि)पर स्वच्छता की स्थिति :

सार्वजनिक स्थान का नाम	क्या सार्वजनिक स्थान पर शौचालय उपलब्ध है। (हॉं/नहीं)	क्या सार्वजनिक स्थान में कही भी खुले में शौच/मूत्र विसर्जन पाया गया। (हॉं/नहीं)

संलग्नक- ७

फार्मेट - ७ प्रारूप : पंचायत में उपलब्ध शौचालय से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन

क्र.	विषय	विवरण
1	ग्राम के समस्त परिवारों की सूची जो ग्राम में निवासरत है। ?	
2.	क्या ग्राम में शासकीय राशि से किसी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है ?	हॉ / नहीं
2.1	यदि हॉ, तो इसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था बनाई गई है ?	हॉ / नहीं
2.2	यदि नहीं, तो क्या इसका प्रस्ताव ग्राम सभा के सम्मुख रखा गया है ?	हॉ / नहीं
3	क्या ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गयी थी ?	हॉ / नहीं
3.1	यदि हॉ, तो इसके लिए समुदाय की सहमति से क्या समय सीमा तय की गई थी ?	
4	क्या ग्राम को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु निगरानी समिति गठित की गई है ?	हॉ / नहीं
4.1	यदि हॉ, तो निगरानी समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर	
	नाम	मोबाईल नम्बर
5.	क्या ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने पर चर्चा की गई है ? (कृपया बैठक पंजी का निरीक्षण करें)	हॉ / नहीं
6.	क्या ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की बैठकों में ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने पर चर्चा की गई है ? (कृपया बैठक पंजी का निरीक्षण करें)	हॉ / नहीं
7.	क्या ग्राम/पंचायत द्वारा खुले में शौच की रोकथाम के लिए किसी नियम/दण्ड का प्रवाधान किया गया है ?	हॉ / नहीं
8.	यदि हॉ, तो क्या समुदाय के सभी लोग इन नियम/दण्ड के प्रावधानों से अवगत है ?	हॉ / नहीं
9.	क्या ग्राम में प्रवासी कर्मचारियों/मजदूरों एवं स्थाई उद्योगों के मजदूरों के लिए स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध एवं उपयोग योग्य है ?	हॉ / नहीं
10.	क्या ग्राम सभा द्वारा ग्राम/पंचायत के खुले में शौच से मुक्त होने की विधिवत घोषणा की गई है ?	हॉ / नहीं
11	क्या समुदाय/ग्राम सभा द्वारा ग्राम के खुले में शौच सं मुक्त वातावरण को निरंतर बनाए रखने की कोई कार्ययोजना बनाई गयी है ?	हॉ / नहीं
11.1	यदि हॉ, तो उसकी पांच प्रमुख रणनीतियां क्या है ?	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

संलग्नक- ८

फार्मेट - ८ प्रारूप : सत्यापन के परिणाम का दस्तावेजीकरण (कॉलम क्रमांक ३ एवं ४ से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी आदेशिका की सत्यप्रति संलग्न करें।)

1. क्या ग्राम में पूर्व में खुले में शौच के लिए उपयोग होने वाले सभी स्थान खुले में शौच से मुक्त पाए गए ? (हाँ /नहीं)	
2. क्या ग्राम के सभी परिवारों में शौचालय की व्यवस्था है? (हाँ /नहीं)	
3. क्या अवलोकन किए गए परिवारों में शौचालय का शत् प्रतिशत उपयोग पाया गया ? (हाँ /नहीं)	
4. जिन परिवारों में छोटे बच्चे/शिशु हैं उन सभी परिवारों में छोटे बच्चों/शिशुओं के मल का सुरक्षित निपटान पाया गया? (हाँ /नहीं)	
5. क्या ग्राम के सभी शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में शौचालय उपलब्ध है ? (हाँ /नहीं)	
6. क्या ग्राम की सभी शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में शौचालय का उपयोग सभी बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा किया जाता है ? (हाँ /नहीं)	
7. क्या ग्राम के सभी शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पानी की उपलब्धता एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था है ? (हाँ /नहीं)	
8. क्या ग्राम पूर्णतः खुले में शौच की प्रथा से मुक्त पाया गया ? (हाँ /नहीं)	
9. क्या आप ग्राम का खुले में शौच से मुक्त होने का सत्यापन करते है ? (हाँ /नहीं)	

हस्ताक्षर सरपंच

संलग्नक ९ - भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की एम.आई.एस. देखने का तरीका-

उदाहरण - नीचे दी गई लिंक को गूगल पर सर्च करने से सर्वप्रथम निम्न स्क्रीन खुलेगी -

http://sbm.gov.in/sbmreport/Report/Physical/SBM_TargetVsAchievement.aspx संपदा के माध्यम से पंचायत वार जानकारी एकत्रित करना एवं विश्लेषण कर समझ विकसित करना।

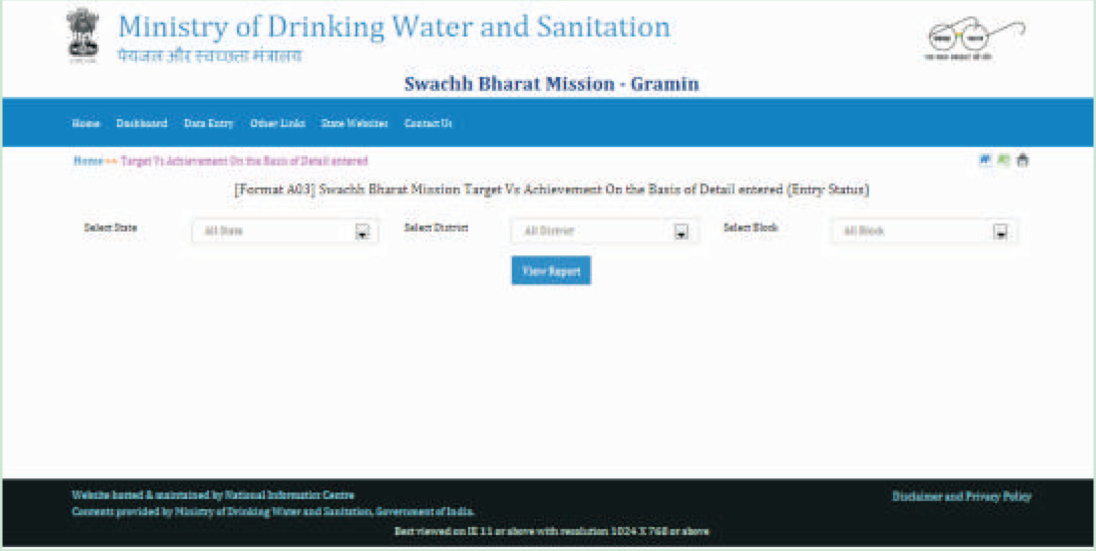

इस स्क्रीन में आपको क्रमशः राज्य, जिला एवं विकास खण्ड के नाम का चयन करना है। प्रत्येक कालम में पहले से ही विकल्प दिए गए है। आपको केवल उन विकल्पों में से अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करना है। उदाहरण के लिए राज्य के कालम में Madhya Praesh, जिले के कालम में Sehore व विकासखण्ड के कालम में Budni का चयन करते है। विकल्पों का चयन करने के उपरान्त View Report के विकल्प पर जाकर बटन दबाना है। ऐसा करने पर सीहोर जिले के बुधनी विकासखण्ड की सभी ग्राम पंचायतों की सूची निम्न वर्णित रूप मे प्रदर्शित होने लगेगी।

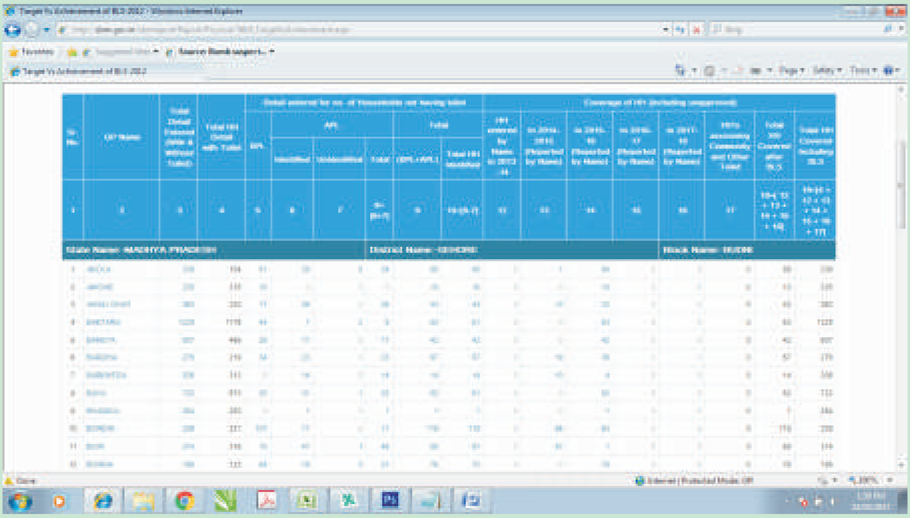

उपरोक्त वर्णित स्क्रीन के कालम क्रमांक 2 में विकासखण्ड की पंचायतों के नाम प्रदर्शित किए गए है। आप इस सूची में अपनी पंचायत का नाम खोजकर उस पर बटन दबाऐ। उदाहरण के लिए हम अकोला पर बटन दबाते है तो अकोला पंचायत की जानकारी निम्न रूप मे प्रदर्शित होने लगेगी।

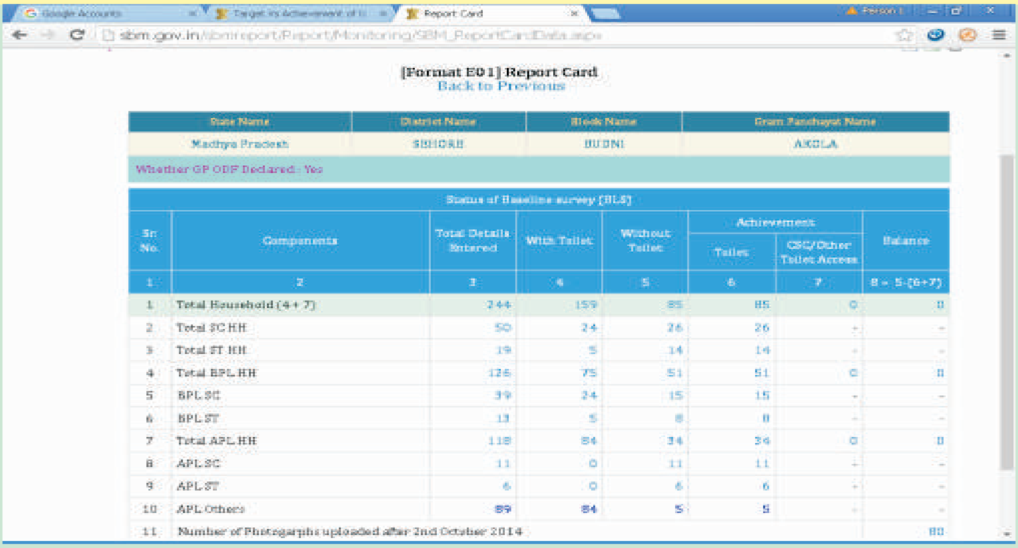

[Format E01] Report Card
Back to Previous

State Name	District Name	Block Name	Gram Panchayat Name
Madhya Pradesh	SEHORE	BUDNI	AKOLA

Whether GP ODF Declared: Yes

Status of Baseline survey [BLS]							
Sr. No.	Components	Total Details Entered	With Toilet	Without Toilet	Achievement		Balance
					Toilets	CSC/Other Toilet Access	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
1	Total Household (4+7)	244	159	85	85	0	0
2	Total SC HH	50	24	26	26	-	-
3	Total ST HH	19	5	14	14	-	-
4	Total BPL HH	126	75	51	51	0	0
5	BPL SC	39	24	15	15	-	-
6	BPL ST	13	5	8	8	-	-
7	Total APL HH	118	84	34	34	0	0
8	APL SC	11	0	11	11	-	-
9	APL ST	6	0	6	6	-	-
10	APL Others	89	84	5	5	-	-
11	Number of Photographs uploaded after 2nd October 2014						80

उपरोक्त वर्णित स्क्रीन में पंचायत से संबंधित 11 प्रकार की जानकारी 8 प्रथक-प्रथक कालमों मे प्रदर्शित होगी। इन जानकारियों में से कालम क्रमांक 5 व 6 की जानकारी आपके लिए अधिक उपयोगी है। कालम क्रमांक 5 में ऐसे परिवारो की संख्या दर्ज है जिनके घरो में सर्वेक्षण के दौरान शौचालय नही था। वहीं कालम क्रमांक 6 में ऐसे परिवारो की संख्या दर्ज है जिनके यहां सर्वेक्षण के बाद शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। पंक्ति क्रमांक 1 में पंचायत के कुल परिवारो की जानकारी दर्ज है। पंक्ति क्रमांक 1 के कालम क्रमांक 6 में लिखे अंक पर बटन दबाने से गॉव के ऐसे परिवारो की सूची प्रदर्शित होगी जिनके यहॉ सर्वेक्षण उपरान्त शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

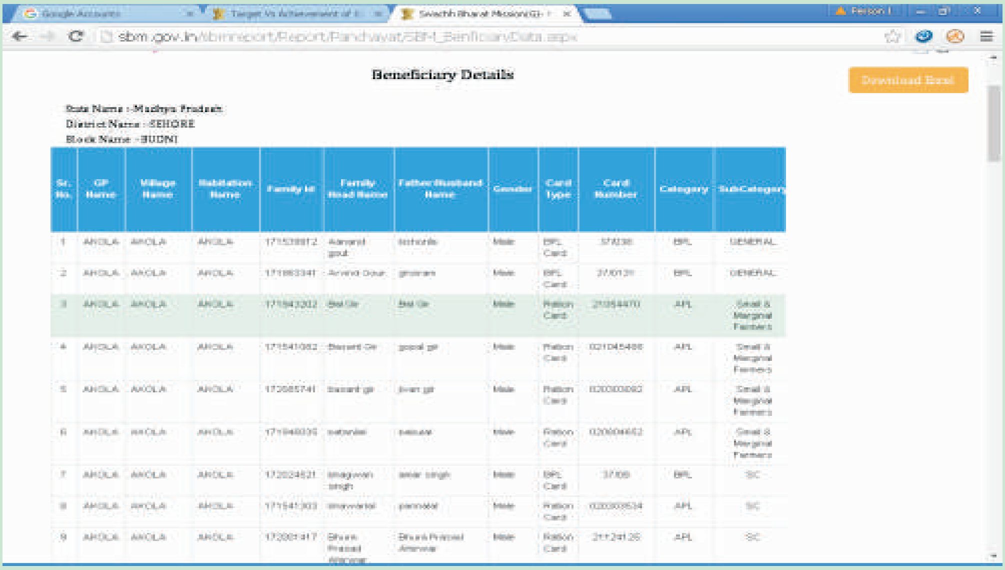

Beneficiary Details

Download Excel

State Name :-Madhya Pradesh
District Name :-SEHORE
Block Name :-BUDNI

Sr. No.	GP Name	Village Name	Habitation Name	Family Id	Family Head Name	Father/Husband Name	Gender	Card Type	Card Number	Category	SubCategory
1	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Male	BPL Card	[illegible]	BPL	GENERAL
2	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	Arvind Dour	[illegible]	Male	BPL Card	[illegible]	BPL	GENERAL
3	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	Bal Gir	Bal Gir	Male	Ration Card	[illegible]	APL	Small & Marginal Farmers
4	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	Basant Gir	gopal gir	Male	Ration Card	[illegible]	APL	Small & Marginal Farmers
5	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	basant gir	jivan gir	Male	Ration Card	[illegible]	APL	Small & Marginal Farmers
6	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Male	Ration Card	[illegible]	APL	Small & Marginal Farmers
7	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	bhagwan singh	amar singh	Male	BPL Card	[illegible]	BPL	SC
8	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Male	Ration Card	[illegible]	APL	SC
9	AKOLA	AKOLA	AKOLA	[illegible]	Bhura Prasad Ahirwar	Bhura Prasad Ahirwar	Male	Ration Card	[illegible]	APL	SC

उपरोक्त वर्णित सूची आपको परिशिष्ट 1 भरने मे सहयोग प्रदान करेगी। इस सूची के माध्यम से आपको यह जानने में सहयोग मिलेगा की ग्राम में कुल कितने परिवारो के घर पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का कार्य किया गया है। इसी प्रकार अन्य विकल्पो का चयन कर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन से जुडी अन्य जानकारियों को संग्रहित किया जा सकता है।

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट,
36 ग्रीन एवेन्यु चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
ई मेलः- info@samarthan.org
बेवसाईटः- www.samarthan.org
फोन :- 0755-2467625